न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, RAS

प्रकरण संख्याः 145/2016

उनवान

मुश्ताक अहमद सिंधि पुत्र रहीमदाद खां सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) हुसैना बी बेवा मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) वसीम पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(3) वाजीद खां पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(4) शकीला पत्नी सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(5) सज्जाद पिता सादीक सिंधि ज जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(6) साजीद खां पिता सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(7) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, 53 R-T-Act- एवं 136 L-R-Act-

निर्णय

दिनांकः 15.5.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 321 नया 273 पुराना के सर्वे नम्बर सर्वे नम्बर 19 रकबा 0.50 हे0, सर्वे नम्बर 20 रकबा 0.84 हे0, सर्वे नम्बर 21 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 22 रकबा 1.35 हे0, सर्वे नम्बर 24 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 25 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 26 रकबा 0.25 हे0, सर्वे नम्बर 28 रकबा 0.51 हे0, सर्वे नम्बर 29 रकबा 0.35 हे0, सर्वे नम्बर 30 रकबा 0.38 हे0, सर्वे नम्बर 31 रकबा 0.34 हे0, सर्वे नम्बर 32 रकबा 0.35 हे0, सर्वे नम्बर 33 रकबा 0.34 हे0, सर्वे नम्बर 34 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 35 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 36 रकबा 0.47 हे0, सर्वे नम्बर 37 रकबा 0.35 हे0, सर्वे नम्बर 38 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 139 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 140 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 141 रकबा 0.22 हे0, सर्वे नम्बर 153 रकबा 0.24 हे0, सर्वे नम्बर 155 [illegible] हे0, सर्वे नम्बर 156 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 355 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर [illegible] रकबा [illegible]02 हे0, सर्वे नम्बर 3020 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 6401/27 रकबा 0.48 हे0 कुल [illegible] 28 रकबा 8.94 हे0, भुमि वादी की पैतृक होकर वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त स्वामी है वादी [illegible] प्रतिवादीगण की वंशावली [illegible] है:—

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

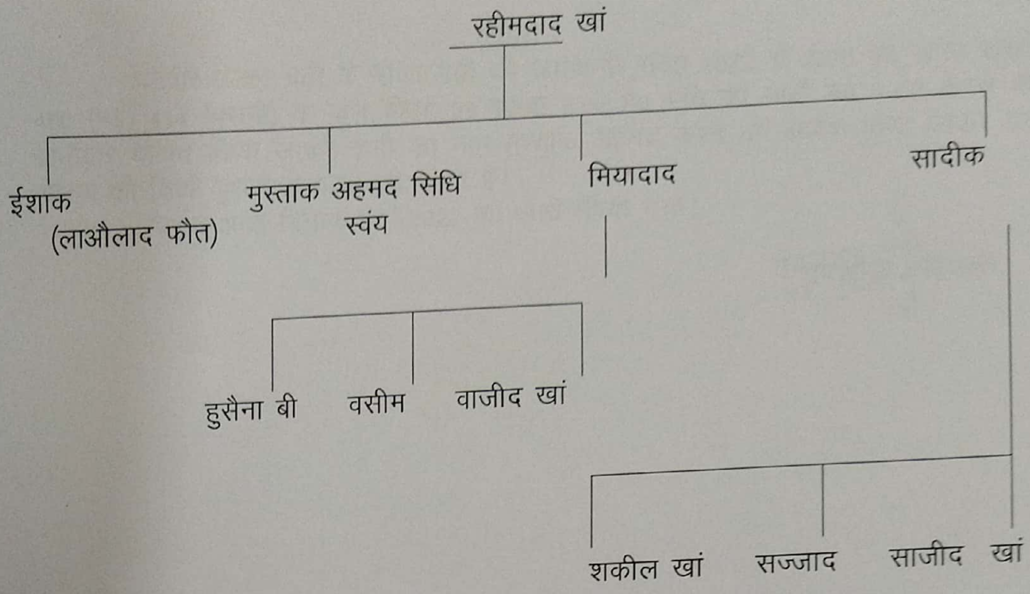

वादी एवं प्रतिवादीगण का मुल पुरूष श्री रहीमदाद खा होकर उक्त समस्त सम्पत्ति पैतृक होकर रहीमदाद खां के चारो पुत्र एक समान अधिकारी होकर ईशाक मोहम्मद के लाऔलाद फोत हो जाने से उसके द्वारा अपने जीवन काल में प्रतिवादीगण की सहमती से वादी के पक्ष में की गई वसीयत से वादी : हिस्से का स्वामी होकर उक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने का अधिकारी होने से उसे उक्त वर्णित खाते का भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। मीयादाद एवं सादीक की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान का नाम दर्ज रेकार्ड हो जाने के पश्चातृ वादी अपने : भाग व प्रतिवादीगण सभी अपने भाग पर काबिज होकर अपनी भुमियों पर कब्जायात होकर काश्त कर रहे है परन्तु संयुक्त भुमि होने से सभी को एक साथ रहने में, कृषि करने मे एवं राजकीय कार्य निष्पादित करने मे, बैंक से ऋण इत्यादी लेने में एवं सरकारी मुआवजा लेने मे भारी समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है तथा वादी अपने हिस्से की भुमि को अपने हिसाब से विकसित एवं आबाद करना चाहता है । इस हेतु राजकीय अनुतोष लेने में भी उसे भारी समस्याओं का सामना परना पड रहा है । जिस वजह से उपरोक्त वर्णित राजस्व भुमी का बटवारा कर वादी के हिस्से का खाता 1/2 भाग अलग किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पेश है। वादी का नाम मुश्ताक अहमद पिता रहीमदाद खां होकर वादी एक नौकरी पेशा व्यक्ति है उसके समस्त राजकीय रिकार्डों में नाम मुश्ताक अहमद ही दर्ज है परन्तु पिता की मृत्यु पश्चात् राजस्व रिकार्ड में मुश्ताक अहमद का नाम सेवन से मुश्तक मोहम्मद दर्ज हो गया है। जिसे भी सुधारकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुश्ताक अहमद दर्ज करना आवश्यक है। जिस हेतु वाद 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर दौराने कार्यवाही वादी व प्रतिवादीगण की ओर से हमराह वादी अभिभाषक के उपस्थित होकर राजीनामा पेश हुआ।

पत्रावली में प्रस्तुत वाद, राजस्व [illegible] की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन कर पटवार हल्का गढ़ी तहसील गढ़ी की [illegible] सम्वत् 2072 से 2075 की खाता संख्या 450 (नई) 414 (पुरानी) के कुल किता 28 रकबा 8.04 हे0 भूमि का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी का नाम मु[illegible]क अहमद करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:17:55 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

Scanned by CamScanner

आदेश

पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 450 (नई) 414 (पुरानी) के कुल किता 28 रकबा 8.94 है0 भूमि का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी का नाम मुश्ताक अहमद करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 145/2016

उनवान

मुश्ताक अहमद सिंधि पुत्र रहीमदाद खां सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

बनाम —: वादी

(1) हुसैना बी बेवा मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) वसीम पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) वाजीद खां पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) शकीला पत्नी सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) सज्जाद पिता सादीक सिंधि ज जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(6) साजीद खां पिता सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(7) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, 53 R-T-Act- एवं 136 L-R-Act-

निर्णय

दिनांकः १५.5.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 450 (नई) 414 (पुरानी) के कुल किता 28 रकबा 8.94 हे0 भूमि का वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर वादी का नाम मुश्ताक अहमद करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक१५ .5.2022 को जारी की गई।

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	[illegible]	[illegible]	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	[illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	[illegible]	शून्य
फीस कमिश्नर	[illegible]	बाबत [illegible] हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	[illegible]	[illegible]	शून्य
मुतफरीक	[illegible]		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:17:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी जिला बांसवाडा

Scanned by CamScanner

यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः हनुमान सिंह राठौड़, RAS

"राष्ट्रीय लोक अदालत 2022" प्रकरण संख्याः 145/2016

उनवान

मुश्ताक अहमद सिंधि पुत्र रहीमदाद खां सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) हुसैना बी बेवा मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) वसीम पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) वाजीद खां पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) शकीला पत्नी सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) सज्जाद पिता सादीक सिंधि ज जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(6) साजीद खां पिता सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(7) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, 53 R-T-Act- एवं 136 L-R-Act-

निर्णय

दिनांकः 14.5.2022

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भुमि खाता संख्या 321 नया 273 पुराना के सर्वे नम्बर सर्वे नम्बर 19 रकबा 0.50 हे0, सर्वे नम्बर 20 रकबा 0.84 हे0, सर्वे नम्बर 21 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 22 रकबा 1.35 हे0, सर्वे नम्बर 24 रकबा 0.17 हे0, सर्वे नम्बर 25 रकबा 0.07 हे0, सर्वे नम्बर 26 रकबा 0.25 हे0, सर्वे नम्बर 28 रकबा 0.51 हे0, सर्वे नम्बर 29 रकबा 0.35 हे0, सर्वे नम्बर 30 रकबा 0.38 हे0, सर्वे नम्बर 31 रकबा 0.34 हे0, सर्वे नम्बर 32 रकबा 0.35 हे0, सर्वे नम्बर 33 रकबा 0.34 हे0, सर्वे नम्बर 34 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 35 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 36 रकबा 0.47 हे0, सर्वे नम्बर 37 रकबा 0.35 हे0, सर्वे नम्बर 38 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 139 रकबा 0.18 हे0, सर्वे नम्बर 140 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 141 रकबा 0.22 हे0, सर्वे नम्बर 153 रकबा 0.24 हे0, सर्वे नम्बर 155 रकबा 0.44 हे0, सर्वे नम्बर 156 रकबा 0.23 हे0, सर्वे नम्बर 355 रकबा 0.10 हे0, सर्वे नम्बर 357 रकबा 0.02 हे0, सर्वे नम्बर 3020 रकबा 0.16 हे0, सर्वे नम्बर 6401/27 रकबा 0.48 हे0 कुल किता 28 रकबा 8.94 हे0, भुमि वादी की पैतृक होकर वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त स्वामी है वादी एवं प्रतिवादीगण की वंशावली निम्नानुसार हैः—

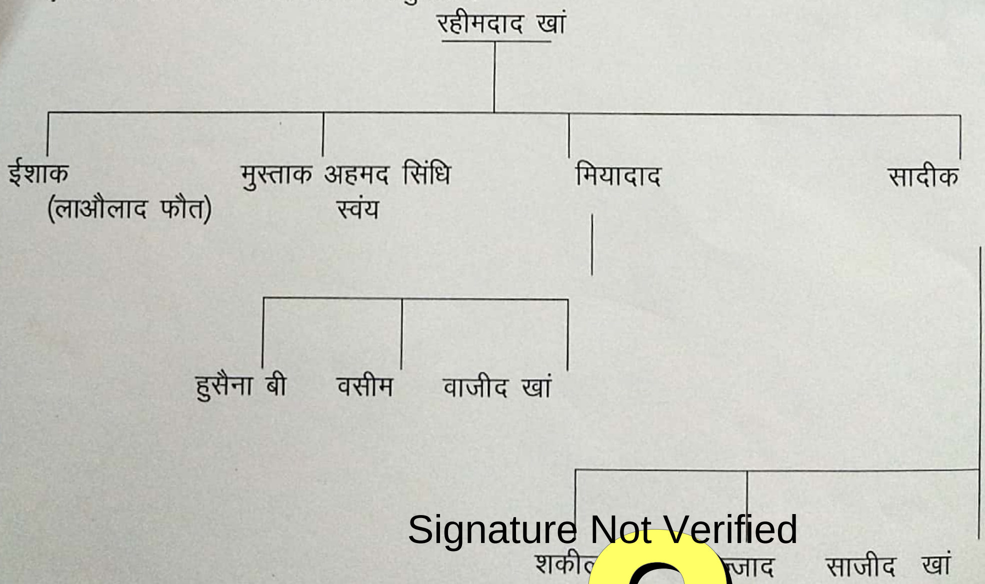

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:17:55 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण का [illegible] श्री रहीमदाद [illegible] होकर उक्त समस्त सम्पत्ति पैतृक होकर रहीमदाद खां के चारो पुत्र एक [illegible] ईशाक [illegible] के लाऔलाद फोत हो जाने से उसके द्वारा अपने जीवन [illegible] प्रतिवादीगण [illegible] सहमती से वादी के पक्ष में की गई वसीयत से वादी : हिस्से का स्वामी होकर उक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया जाने का

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Scanned by CamScanner

"राष्टीय लोक अदालत 2022"

अधिकारी होने से उसे उक्त वर्णित खाते का भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। मीयादाद एवं सादीक की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिसान का नाम दर्ज रेकार्ड हो जाने के पश्चात् वादी अपने : भाग व प्रतिवादीगण सभी अपने भाग पर काबिज होकर अपनी भुमियों पर कब्जायात होकर काश्त कर रहे है परन्तु संयुक्त भुमि होने से सभी को एक साथ रहने में, कृषि करने मे एवं राजकीय कार्य निष्पादित करने मे, बैंक से ऋण इत्यादी लेने में एवं सरकारी मुआवजा लेने मे भारी समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है तथा वादी अपने हिस्से की भुमि को अपने हिसाब से विकसित एवं आबाद करना चाहता है । इस हेतु राजकीय अनुतोष लेने में भी उसे भारी समस्याओं का सामना परना पड रहा है । जिस वजह से उपरोक्त वर्णित राजस्व भुमी का बटवारा कर वादी के हिस्से का खाता 1/2 भाग अलग किया जाना आवश्यक है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद पेश है। वादी का नाम मुश्ताक अहमद पिता रहीमदाद खां होकर वादी एक नौकरी पेशा व्यक्ति है उसके समस्त राजकीय रिकार्डों में नाम मुश्ताक अहमद ही दर्ज है परन्तु पिता की मृत्यु पश्चात् राजस्व रिकार्ड में मुश्ताक अहमद का नाम सेवन से मुश्तक मोहम्मद दर्ज हो गया है। जिसे भी सुधारकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुश्ताक अहमद दर्ज करना आवश्यक है। जिस हेतु वाद 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत पेश हुआ।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर दौराने कार्यवाही वादी व प्रतिवादीगण की ओर से हमराह वादी अभिभाषक के उपस्थित होकर राजीनामा पेश हुआ।

पत्रावली में प्रस्तुत वाद, राजस्व अभिलेख तथा पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन कर पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 450 (नई) 414 (पुरानी) के कुल किता 28 रकबा 8.94 हे0 भूमि का वादी को खातेदार घोशित किया जाकर वादी का नाम मुश्ताक अहमद करने का आदेश दिया जाता है।

14/5/22

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

आदेश

पटवार हल्का गढ़ी के मौजा गढ़ी की जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 की खाता संख्या 450 (नई) 414 (पुरानी) के कुल किता 28 रकबा 8.94 हे0 भूमि का वादी को खातेदार घोशित किया जाकर वादी का नाम मुश्ताक अहमद करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.5.2022 को जारी किया गया।

14/5/22

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

अज अदालतः उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी व इजलास : हनुमान सिंह राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 145/2016

उनवान

मुश्ताक अहमद सिंधि पुत्र रहीमदाद खां सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) हुसैना बी बेवा मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(2) वसीम पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(3) वाजीद खां पिता मियादाद सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(4) शकीला पत्नी सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(5) सज्जाद पिता सादीक सिंधि ज जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(6) साजीद खां पिता सादीक सिंधि जाति मुसलमान निवासी गढी तहसील गढी जिला बांसवाडा।
(7) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 209, 53 R-T-Act- एवं 136 L-R-Act-

निर्णय

दिनांकः 14.5.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का भगोरा के मौजा भगोरा की जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 की खाता संख्या 484 (नई) 467 (पुरानी) के खातेदार मनजी पुत्र कुरीया हिस्सा 1/4 जाति लोहार में जाति लोहार के स्थान पर कलाल बाकि बदस्तुतर दर्ज किया जाकर स्व0 श्री मनजी व उनके वारिस पुत्र शंकरलाल व बन्सीलाल के फोत हो जाने से नियमानुसार मृत्यु प्रमाण–पत्र/वंशावली प्राप्त कर नामान्तरकरण करने एंव बाकि बदस्तुर दर्ज करने का आदेश दिया जाकर इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 14.5.2022 को जारी की गई।

[handwritten initials] 14/5/22

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

[handwritten initials] 14/5/22

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Singh Rathore
Date: 2022.06.10 10:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner